न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : 98–एक/2017 निगरानी – विरूद्ध – आदेश दिनांक 19–12–2016 – पारित व्दारा – आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर – प्रकरण क्रमांक 419 अ–6/14–15 अपील

1– श्रीमती मीरावाई पत्नि स्व.रामदास साहू
2– नीरज पुत्र स्व.रामदास साहू दोनों निवासी
ग्राम घूमा तहसील लखनादौन जिला सिवनी ——आवेदकगण

विरूद्ध

1– भगवानदास पुत्र स्व.रघुनाथ मृत वारिस
अ– श्रीमती सकुन पत्नि स्व. भगवानदास साहू
ब– मुकेश पुत्र स्व. भगवानदास साहू
स– सविता साहू पिता स्व. भगवानदास साहू
द– बबीता पिता स्व. भगवानदास साहू
2– सुखराम पुत्र रघुनाथ प्रसाद साहू डिप्टी रेंजर
श्रेंज घूमा उत्तर सामान्य बन मंडल घूमा
3– श्रीमती यशोदावाई पुत्री स्व.रघुनाथ साहू
4– श्रीमती मुलियावाई पुत्री स्व.रघुनाथ साहू
सभी ग्राम घूमा तहसील लखनादौन जिला सिवनी
5– शशिवाला पुत्री बाबूलाल साहू सुपरवाईजर
महिला एंव वाल विकास विभाग निवासी
फारेस्ट कालोनी छपारा जिला सिवनी —— अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री रविशॅकर साहू)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 8–01–2019 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा प्रकरण क्रमांक 419 अ–6/14–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 19–12–16 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम मोहगॉव स्थित भूमि खसरा नंबर 95 रकबा 1-53 हैक्टर महिला गोमतीवाई के नाम पर थी, जिनकी मृत्यु उपरांत ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 21 पर आदेश दिनांक 6-7-11 से मृतक के वारिसों का नामान्तरण नायव तहसीलदार लखनादौन व्दारा किया गया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी, लखनादौन के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी लखनादौन ने प्रकरण क्रमांक 17 अ 6/13-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-6-15 से अपील अस्वीकार कर दी कि स्व.रामदास पिता रघुनाथ प्रसाद तेली की दो पत्नियां थीं, एक मीरावाई पति रामदास साहू (जिनका पुत्र नीरज साहू है) , दूसरी पत्नि शशिवाला साहू (जिसके दो पुत्र सचिव एंव गौरव है) थीं। दोनों ही पत्नियॉ वादित भूमि पर अपना-अपना दावा होना प्रस्तुत करने के कारण मामला स्वत्व का होने एंव स्वत्व का मामला निराकरण करने के अधिकार न होने के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी लखनादौन ने आदेश दिनांक 30-6-15 से अपील खारिज कर दी। अनुविभागीय अधिकारी लखनादौन के आदेश के विरूद्व आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा प्रकरण क्रमांक 419 अ-6/14-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 19-12-16 से अनुविभागीय अधिकारी लखनादौन के आदेश को यथावत् रखते हुये अपील खारिज कर दी। आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने। अनावेदकगण को बार-बार सूचना पत्र भेजने के वाद सम्यक सूचना के अभाव में दैनिक समाचार पत्र देशबधु जबलपुर दिनांक 26-7-18 में विज्ञप्ति का प्रकाशन कराया गया, इसके वाद भी अनावेदकगण अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है। अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अनुविभागीय अधिकारी लखनादौन ने आदेश दिनांक 30-6-15 में निकाले गये निष्कर्ष तथा आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा आदेश दिनांक 19-12-16 में निकाले गये निष्कर्षो के अवलोकन से परिलक्षित है कि दोनों ही न्यायालयों ने अपील इस आधार पर खारिज की है कि स्व.रामदास पिता रघुनाथ प्रसाद तेली की दो पत्नियां थीं, एक मीरावाई पति रामदास साहू (जिनका पुत्र नीरज साहू है) , दूसरी पत्नि शशिवाला साहू (जिसके दो पुत्र सचिव एंव गौरव है) हैं। दोनों ही पत्नियॉ वादित भूमि पर अपना-अपना दावा होना

प्रस्तुत करने के कारण मामला स्वत्व का होने एंव स्वत्व के मामले के निराकरण का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है । यदि आवेदकगण वादित भूमि में स्वयं् का हक साबित करना चाहते हैं तब वह व्यवहार न्यायालय में तत्सम्बन्धी कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी लखनादौन के आदेश दिनांक 30-6-15 में निकाले गये निष्कर्ष तथा आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा आदेश दिनांक 19-12-16 में निकाले गये निष्कर्षो समवर्ती होने से निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से अस्वीकार की जाती है एंव आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा प्रकरण क्रमांक 419 अ-6/14-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 19-12-16 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर